अनवान जगमाल राम बनाम लालाराम

225 आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्या 201/2018 00438

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3.1.2019	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। स्थगन प्रार्थना पत्र पर पूर्व में बहस सुनी गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अपील प्रभावहीन होने बाबत् पेश किया गया। शामिल मिसल हो। अपीलांट के अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहरातें हुवे निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.12.2018 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण कर दिया है। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा नई अपील दिनांक 2.1.2019 को पेश कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी का अंतिम निस्तारण होने से यह अपील प्रभावहीन हो चुकी है। अतः अपील प्रभावहीन होने से खारिज की जावें। रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता भी अपीलांट के अधिवक्ता के कथन से सहमत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण किये जाने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है। आदेश आज सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। (हस्ताक्षर) राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर	